1/3/25	पत्रावली पेश हुई। आवेदिका आवेदन-पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर नत्थी शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से कार्य होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।
	उपखण्ड अधिकारी [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना (आर.ए.एस)

मु0 / न0	किस्म मुकदमा	तारीख रजू	तारीख फैसला
15 / 26	128 एलआर एक्ट	18.02.26	19.03.2026

उनवान

भरोसी पुत्र पन्ना आयु 72 साल जाति प्रजापत निवासी चटीकना मोहल्ला करौली तहसील व जिला करौली राज0

—प्रार्थी

बनाम

1. पतोली पुत्र साबू आयु 65 साल जाति प्रजापत निवासी चटीकना मोहल्ला करौली तहसील व जिला करौली
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली राज0

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र धारा 128 एल आर एक्ट

–::निर्णय::– दिनांकः– 19/3/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 7872 रकवा 1 वीघा 2 विस्वा, खसरा नं0 7875 रकवा 5 विस्वा, खसरा नं0 7876 रकवा 6 विस्वा, खसरा नं0 7877 रकवा 7 विस्वा, खसरा नं0 7877/9785 रकवा 7 विस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 2 बीघा 7 विस्वा वाके कस्बा करौली पटवार हल्का करौली–10 तहसील करौली में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का संपूर्ण हक व हिस्सा व अधिकार है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि अनुसार काबिज काश्त है और फसल का लाभ लेता चला आ रहा हैं। अप्रार्थी सं0 1 का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सराकार व ताल्लुक नही है। उभय पक्ष की खातेदारी की जमाबंदी की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। सीमाज्ञान पहले हो चुका है। प्रार्थी की भूमि खसरा नं0 7872 रकवा 1 वीघा 2 विस्वा, खसरा नं0 7875 रकवा 5 विस्वा, खसरा नं0 7876 रकवा 6 विस्वा, खसरा नं0 7877 रकवा 7 विस्वा, खसरा नं0 7877/9785 रकवा 7 विस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 2 वीघा 7 विस्वा वाके कस्बा करौली पटवार हल्का करौली–10 तहसील करौली से लगी हुई अप्रार्थीगण सं0 1 की भूमि खसरा नं0 7878 रकवा 1 वीघा 3 विस्वा स्थित कस्बा करौली पटवार हल्का करौली–10 तहसील करौली से लगी हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 की भूमि के मध्य मिट्टी की डौल हो रही है। प्रार्थी के खसरा नंबरों की जमीन अप्रार्थी सं0 1

के खसरा नंबरों से मिल रही है। प्रार्थी की जमीन को अप्रार्थी सं0 1 हडपना चाहता हैं। इसी उद्देश्य से अप्रार्थी सं0 1 बार–बार बरसाल के समय में प्रार्थी की मेड को नई मेड बनाने के बहाने से तोडकर अपने खेत की मिट्टी मे मिला लेते हें। जिससे प्रार्थी की अप्रार्थी सं0 1 के मध्य सीमा विवाद उत्पन्न हो जाता हे। अप्रार्थी सं0 1 सहजोर व्यक्ति है और प्रार्थी के कहने पर नही मानता है। इसलिये बार–बार सीमा विवाद से बचने हेतु प्रार्थी अपने हक व हिस्से की खातेदारी की मुन्दर्जे प्रार्थना पत्र मद नं0 1 की खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। अप्रार्थी सं0 1 ताकतवर व पैसे वाला है, प्रार्थी कमजोर व्यक्ति है और अप्रार्थी सं0 1 अपनी ताकत के बल पर मुझ प्रार्थी के खातेदारी की भूमि को सीमा विवाद कर हडपना चाहता हे। मना करने पर झगडा–फसाद करने को उतारू है। मिट्टी की मेड को तोडकर मुझ प्रार्थी की जमीन में खुदाई दिनांक 04.02.2026 के दिवस अप्रार्थी सं0 1 ने कर दी। तब मना करने पर नही माना और मां बहिन की गंदी गंदी गोलिया देते हुए मुझ प्रार्थी के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कराकर पक्की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। तहसीलदार साहब करौली को मौका अवलोकन कर पैमाईश करायी जाकर पत्थरगढी कराना जाना न्यायोचित है। जिसकी कमिश्नर फीस प्रार्थी वहन करने को तैयार है। अंत में पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी नंबर 1 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर सहमति जाहिर की।

बहस वकील एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीयान की खातेदारी व कब्जे की होना एवं वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीयान व अप्रार्थीयान के मध्य सीमा विवाद होना प्रकट होता है। अप्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर सहमति जाहिर की है। प्रार्थीयान अपनी भूमि की पत्थरगढी सीमांकन कराने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

::आदेश::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके कस्बा करौली पटवार हल्का करौली–10 तहसील करौली में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 7872 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 7875 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 7876 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 7877 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 7877/9785 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा वाके कस्बा करौली पटवार हल्का करौली–10 तहसील करौली से लगे हुए खसरा नंबर 7878 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके कस्बा करौली पटवार हल्का करौली–10 तहसील करौली की पत्थरगढी, बरामदात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए तहसीलदार, करौली को 1500/–रूपये फीस पर कमिशनर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। तहसीलदार, करौली सभी पडौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र के समय एवं तिथि सूचित करेंगे। मौके पर खडी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर सीमांकन कर पत्थरगढी किऐ जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, करौली को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)